## FC/HPC/06/54/2022



28.03.2023

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) हिमाचल प्रदेश सरकार आर्म्सडेल बिल्डिंग, शिमला। (E-mail: <u>forestsecy-hp@nic.in</u>)

- विषयः Diversion of 50.091 ha. of forest land in favour ITBP Floor 03 Block 02, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi for the construction of Dubling-Rishi Dogri-Lamche Dogri road within the jurisdiction of Kinnaur Forest Division, Distt. Kinnaur, HP. (Online Proposal No. FP/HP/Road/145666/2021)
- सन्दर्भः नोडल अधिकारी–सह–अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए) द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया गया पत्र संख्या Ft.48–5451 / 2021 (एफ.सी.ए) दिनांक 23.03.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण पर नोडल अधिकारी–सह–अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए), हि0प्र0 के पत्र दिनांक 03.06.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय—समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां / दस्तावेज मंगवाये जाते रहे हैं, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 21.02.2023 को हुई बैठक में संस्तुति के उपरांत केन्द्र सरकार Diversion of 50.091 ha. of forest land in favour ITBP Floor 03 Block 02, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi for the construction of Dubling-Rishi Dogri-Lamche Dogri road within the jurisdiction of Kinnaur Forest Division, Distt. Kinnaur, HP. हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage-I Approval) निम्नलिखित शर्ता पर प्रदान करती है:--

- 1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
- परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
- 3. प्रतिपूरक वनीकरणः
  - (क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 50.1 हे0 वन क्षेत्र (14.1 ha. DPF Dubling, Range Pooh; 10 ha. Pooh Kanda, Range Pooh; 10 ha. Rishi Kanda, Range Pooh; 10 ha. UF Roopa, Range Pooh; 6 ha. Yangti, Range Pooh, kinnaur Forest Division, Distt. Kinnaur H.P. में प्रतीपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाए। नोडल अधिकारी–सह–अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए) के पत्र दिनांक 23.03.2023 के अनुसार प्रस्तावित भूमि राज्य सरकार के कब्जे में है, अतः FCA Guidelines के Para 2.4(iii) के अनुसार CA land को विधिवत स्वीकृति से पूर्व राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित और नामांतरित (mutation) किया जाए एवं नियमानुसार अगर आवश्यक हो तो IFA, 1927 के अंतर्गत PF/RF अधिसूचित किया जाए।

- (ख) राज्य सरकार द्वारा सी.ए. क्षेत्र के सही Compartments/खसरा संख्या की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।
- (ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रणाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि उक्त भूमि पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है।
- (घ) प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित एवं संधारित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
- 4. शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.):
  - (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1 / 1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2 / 2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 एवं 5–3 / 2011–FC(Vol.-I), दिनांक 06.01.2022 में जारी दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत **50.091** हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।
  - (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।
- 5. SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.
- 6. Since the proposed project is located in hilly/slopy area and the proposed area is prone to Soil erosion/landslide, therefore as per the recent directions of MoEF & CC vide letter dated 07 June, 2022, Soil and Moisture Conservation Plan along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA is required to be submitted along with Stage-I compliance. However, in cases where it is not possible for the State Govt. to submit the compliance due to delay in preparation of such Plan, a lump sum amount of 0.5% of the project cost shall be realized from the User Agency and submitted along with the Stage I compliance. The deficit amount, as per said Plan, if any, from the money already realized to the tune of 0.5% of project cost shall be deposited in the CAMPA account prior to actual working on the forest area. An Undertaking to this effect may also be submitted.
- 7. Since the proposed project is located in Cod Desert Biosphere Reserve, therefore as per the recent directions of MoEF & CC vide letter dated 07 June, 2022, Wild Life Management Plan (WLMP) along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA is required to be submitted along with Stage-I compliance. However, in cases where it is not possible for the State Govt. to submit the compliance due to delay in preparation of such Plan, a lump sum amount of 2.0 % of the project cost shall be realized from the User Agency and submitted along with the Stage I compliance. The deficit amount, as per said Plan, if any, from the money already realized to the tune of 2.0 % of project cost shall be deposited in the CAMPA account prior to actual working on the forest area. An Undertaking to this effect may also be submitted.
- State Government shall comply with the Orders of the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh issued on dated 13.01.2023 in CWPIL NO 13/2021 titled as "Kusum Bali Vs States and others". Accordingly, NOC from PCB shall be submitted before Stage-II approval.
- State Govt. shall comply Standard Operating Procedure (SoP) for environmental safeguards to be followed while constructing and operation of all Highway projects which are exempted up to 100 km from Line of Control or border issued by MoEF&CC vide letter no. IA3-22/40/2022-IA-III (E198668) dated 06.02.2023.
- 10. State Govt. shall rectify the District profile in Part-II, before Stage-II (final) approval.
- 11. DFO concerned may re-verify the presence of *Cedrus deodara* in the proposed diversion areas and accordingly re-submit the enumeration list before Stage-II (final) approval.
- 12. FRA Certificate along with all prescribed annexure including all records of consultations and meetings with Gram Sabha(s) and FRC(s) of concerned villages shall be submitted before Stage-II (final) approval.

- 13. एफ.आर.ए., 2006 की पूर्ण अनुपालना सम्बंधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी।
- 14. प्रयोक्ता अभिकरण, आईआरसी मानदंडों के अनुसार यथासम्भव, सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
- 15. संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
- 16. User agency shall restrict the felling of trees to maximum **122 Trees** in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department. However, the possibility to reduce the number of trees must be explored and the State Forest Department shall constitute a Committee comprising Range Officer and Site Engineer In-charge and headed by the DFO concerned. The Committee shall examine the alignment at the time of execution of work and will recommend the removal of trees on case to case basis along the RoW of road after looking into the possibility of reducing the total number of trees to be affected. The DFO shall verify the enumeration and accordingly grant felling permission based on the actual requirement. DFO will submit the list of trees to IRO Shimla, granted felling permission by him and trees to be retained within a period of two (2) months after execution of the project. The undertaking for the same duly authenticated by the concerned DFO may be provided.
- 17. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
- 18. आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।
- 19. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई—पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपुरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।
- 20. पर्यावरेण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।
- 21. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
- 22. वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
- 23. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
- 24. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर. सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा, जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।
- 25. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
- 26. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
- 27. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
- 28. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
- 29. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। **मलवा निस्तारण स्थलों पर किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा।**
- 30. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
- 31. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

## FC/HPC/06/54/2022

32. सम्पूर्ण अनुपालना रिपोर्ट ई—पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय, हo/-**(सत्य प्रकाश नेगी)** क्षेत्रीय अधिकारी

## प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

- अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली (E-mail: <u>adgfc-mef@nic.in</u>).
- 2. वन महानिरीक्षक (आर.ओ.एच.क्यू.) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड़, अलीगंज, नई दिल्ली 110003 (E-mail: <u>rohq-mefcc@gov.in</u>).
- नोडल अधिकारी–सह–अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.) हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग, टालैंड, शिमला (E-mail: <u>nodalfcahp@yahoo.com</u>).
- 4. आदेश पत्रावली।